बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 144

नागरिक सुरक्षा

वी जी सिद्धार्थ के लिखे कथित 'सुइसाइड नोट' (आत्महत्या के पूर्व लिखी बातें) में ऐसी परेशानियों का जिक्र है जिनके कारण उन्हें मरणोपरांत सहानुभूति मिल रही है। उन्होंने जिन समस्याओं का जिक्र किया है उनमें कर अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने का उल्लेख है। इसके बाद आय कर विभाग ने एक विस्तृत नोट जारी किया जिसमें कहा गया है कि अब हमारे बीच नहीं रहे 'कॉफी किंग' ने 350 करोड़ रुपये की अघोषित आय होने की बात स्वीकार की थी। हालांकि मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति का कहना है कि कर अधिकारियों ने सिद्धार्थ की हिस्सेदारी वाले शेयर जब्त कर जल्दबाजी दिखाई थी। सारे तथ्य धीरे-धीरे सामने आएंगे। संभव है कि यह मामला भी तमाम अन्य मामलों की तरह दोहरेपन का निकले। हमारे कई कारोबारियों को ऐसे ही काम करना पड़ता है।

कर प्रशासन द्वारा परेशान करने के आरोप के बाद कारोबारी समुदाय और आम जनता से प्रतिक्रिया मिल रही है। वित्त मंत्री इस मुद्दे से भलीभांति अवगत हैं। अपने बजट भाषण में उन्होंने प्राचीन संगम साहित्य का उल्लेख करते हुए कहा कि अगर हाथी धान के खेत में घुस जाए तो वह जितना खाए, उससे कहीं बहुत ज्यादा रौंदकर नुकसान पहुंचाएगा। लगभग 15 वर्ष पहले वित्त मंत्री रहे जसवंत सिंह ने अपने बजट भाषण में कहा था, 'हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे नागरिकों का अनिवार्य उद्यमी चरित्र और उनकी रचनात्मकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।' उन्होंने कहा कि वह आशंका से ग्रस्त, शोषण करने वाली व्यवस्था के बजाय आपसी विश्वास पर आधारित व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वह अपने देश के नागरिकों के भरोसे पर ऐसा कर रहे हैं। सिंह ने यह कहकर अपना कद ऊंचा कर लिया था कि करदाताओं के साथ अदब से पेश आना चाहिए। यह याद करना बेहतर होगा कि उन्होंने क्या करने की बात कही थी, 'पहला, किसी जांच या जब्ती अभियान के दौरान मिलने वाले शेयरों को किसी भी हालत में जब्त नहीं किया जाएगा। दूसरा, ऐसी जांच या जब्ती अभियान के दौरान कोई स्वीकारोक्ति नहीं ली जाएगी। तीसरा, संयुक्त आयकर आयुक्त के दर्जे के नीचे किसी भी अधिकारी को सर्वे अभियान की अनुमति देने का अधिकार नहीं होगा। आखिर में, सर्वे में मिले बहीखातों को बिना मुख्य आयुक्त की पूर्व मंजूरी के 10 दिन से अधिक जब्त नहीं रखा जाएगा।'

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

जिन कारोबारियों के यहां ऐसी कर जांच या जब्ती हुई है वे इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि इन वादों को पूरा किया गया या नहीं। सकारात्मक पहलुओं पर बात करें तो डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल ने औसत करदाताओं के लिए कर प्रक्रिया को सहज और सुरक्षित बनाया है। इसने करदाताओं और कर आकलन करने वाले अधिकारियों के सीधे संपर्क की जरूरत समाप्त कर दी है। इस बात ने भी काफी हद तक शोषण और रिश्वत पर लगाम लगाई है। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही दो दर्जन से अधिक कर अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में अपना सामान समेटना पड़ा। माना जा रहा है कि इससे नीचे कड़ा संदेश गया होगा। लॉर्ड एक्टन की कहावत याद करें तो सत्ता में भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति होती है और पूर्ण सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट कर देती है। ऐसे में देखें तो मौजूद कर एवं अन्य छापों में एक खास रुख नजर आता है: इस दौरान सरकार के विरोधियों या आलोचकों पर कार्रवाई की गई। इस बीच सरकार उन विधानों को सरकारी मंजूरी दिलाने में लगी रही जो कई विभागों में अधिकारियों को कई प्रकार से मजबूत बनाते हैं। जबकि बचाव के तरीके बहुत कम हैं। इस दौरान अधिकारों को बहुत हद तक केंद्र सरकार के पास केंद्रीकृत रखा गया है।

अब संभव है कि तेज वाहन चलाने जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल हो सकती है। अन्य देशों में ऐसे अत्यधिक विशिष्ट मामलों में भी बड़ा जुर्माना लगाया जाता है। गृह मंत्री ने आश्वस्त किया है कि सरकार के कई नए अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या सबसे शक्तिशाली और नेक इरादों वाले मंत्री भी ऐसे देश में यह गारंटी दे सकते हैं जहां हर व्यक्ति जानता है कि ताकत का दुरुपयोग आम बात है। क्या यह ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि जसवंत सिंह के तर्ज पर नरमी बरती जाए?

खासकर उन्नाव जैसे घटनाक्रम के बाद, जब लोगों को लगने लगा है कि पुलिस से 25 बार अनुरोध करने के बाद भी आम नागरिकों को जरूरी सांविधिक संरक्षण नहीं मिल पा रहा। हालांकि वे असंगत तरीके से लगाए जाने वाले जुर्मानों के खतरों से भी खीझ में रहते हैं।

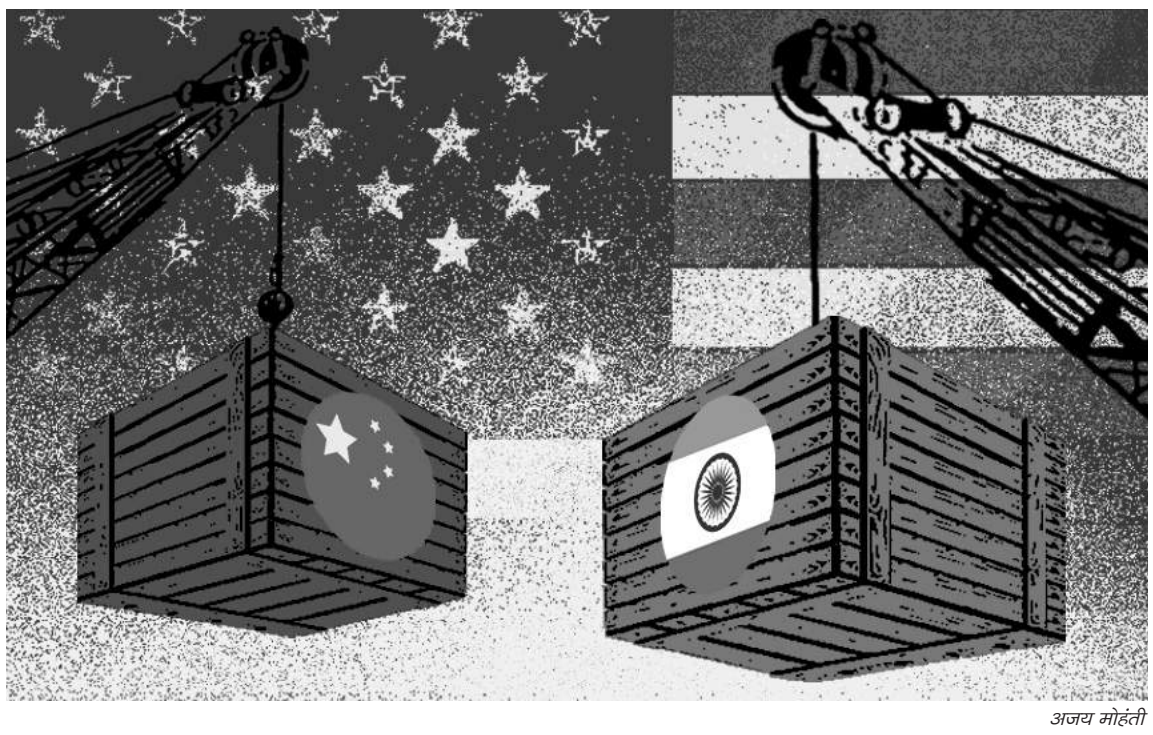

अजय मोहंती

क्या चीन के नुकसान में छिपा है भारत का लाभ?

व्यापारिक युद्ध के साथ जुड़ी घटनाओं के आकलन के क्रम में अमेरिका से भारत और चीन में आयातित होने वाली वस्तुओं के आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जानकारी दे रहे हैं **अजय शाह**

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने देश अमेरिका को चीन के साथ कारोबारी जंग में उलझा दिया है। शुरुआती प्रमाण तो यही सुझा रहे हैं कि भारत को इसका फायदा मिल सकता है। बहरहाल, समय बीतने के साथ वैश्विक कंपनियों के एफडीआई संबंधी फैसलों से कहीं अधिक बड़े लाभ हमारे सामने होंगे। भारत की बात करें तो हालात का फायदा उठाने के लिए हमें और अधिक परिपक्व बाजार अर्थव्यवस्था बनना होगा तथा वैश्वीकरण के नियमों के मुताबिक चलना होगा।

भारत और चीन की तुलना करें तो चीन की अर्थव्यवस्था काफी बड़ी हैं और चीन का नीतिगत प्रतिष्ठान अधिक सक्षम है। चीन कंप्यूटर उपकरणों जैसे गुणवत्तापूर्ण सामान बनाने लगा है जो भारत नहीं बनाता। हमारा देश अब तक केवल ऐसी वस्तुओं का निर्यात करता है जो विकासशील देशों से मेल खाती हैं। यही कारण है कि हम मान सकते हैं कि शायद अमेरिका और चीन की कारोबारी जंग भारत के लिए उतने फायदे न लाए।

व्यापार युद्ध से जुड़ी घटनाओं का आकलन करने के क्रम में हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि ये दोनों देश अमेरिका से किन वस्तुओं का आयात करते हैं। भारत अमेरिका को सेवा निर्यात करता है लेकिन हम उसे विश्लेषण से बाहर रखें क्योंकि चीन और अमेरिका की कारोबारी जंग प्रमुख रूप से वस्तुओं से संबंधित है। ताजा आंकड़े मई 2019 के हैं। ये बताते हैं कि भारत ने अमेरिका को 560 करोड़ डॉलर मूल्य का निर्यात किया। वहीं चीन ने 3,930 करोड़ डॉलर का निर्यात किया। इस प्रकार अमेरिका ने कुल 22,080 करोड़ डॉलर का आयात किया। जाहिर है इसमें भारत की हिस्सेदारी चीन से काफी कम रही।

सवाल यह है कि इन दोनों देशों का निर्यात आखिर अमेरिका और चीन के व्यापार युद्ध से किस प्रकार बदल रहा है? अमेरिकी आयात में चीन की सबसे अधिक हिस्सेदारी सितंबर 2015 में 23.87 फीसदी थी। परंतु मई 2019 के ताजा आंकड़ों में यह घटकर 17.78 फीसदी रह गई। इससे एक वर्ष पहले मई 2018 में यह 21.5 फीसदी के स्तर पर था। सितंबर 2015 के उच्चतम स्तर से मई 2019 तक अमेरिकी आयात में चीन की हिस्सेदारी 6.09 फीसदी कम हुई है। यह बड़ा बदलाव है।

इस अवधि में अमेरिकी आयात में भारत की हिस्सेदारी 1.92 फीसदी से बढ़कर 2.54 फीसदी हो गई। यह बढ़ोतरी 0.62 फीसदी की है। यानी चीन ने जो हिस्सा गंवाया, उसका दसवां हिस्सा भारत ने बढ़ाया।

सवाल यह है कि ये हालिया कारोबारी जंग से इस बदलाव का कितना ताल्लुक है और लंबी अवधि में इसका क्या असर होने वाला है? आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका को चीन का वस्तु निर्यात सन 1980 के दशक में भारत से अमेरिका को होने वाले वस्तु निर्यात का दो से चार गुना था लेकिन 2007 तक यह 16 गुना हो गया।

बीते दशक के दौरान भारत की दृष्टि से यह अनुपात सुधरा है। इस लंबी अवधि की प्रक्रिया से इतर हालिया आंकड़ों से भी ऐसा लगता है कि अमेरिका और चीन के व्यापारिक युद्ध का लाभ भारत को मिला है।

भारत दोनों देशों के इस विवाद से कैसे लाभान्वित हो सकता है? पहली बात तो यह कि अधिकांश कारोबारी वार्ताएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच ही होती हैं। जब वॉलमार्ट भारत में गहराई तक जड़ें जमा रही है तो वह भारत से अधिक निर्यात भी करेगी। निर्यात में भारत का प्रदर्शन बेहतर रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि वैश्विक कंपनियां भारत आएं और बड़े पैमाने पर काम करें। इसके अलावा भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विकास की भी आवश्यकता है।

निश्चित रूप से इन बातों का प्रभाव धीमी गति से नजर आएगा। जब अमेरिका और चीन का व्यापारिक युद्ध उभरा तो वैश्विक कंपनियों ने अल्प काल में अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया लेकिन मध्यम अवधि में वे ऐसे देशों की तलाश कर रही हैं जहां वे कारोबार कर सकें और जहां कारोबारी दृष्टि से बेहतर आर्थिक माहौल हो।

हमें इन कंपनियों के बोर्ड के मन में स्थान बनाना होगा, जो चीन के प्रति अत्यधिक खुलेपन के कारण दिक्कतों का सामना कर रही हैं। हम उनके लिए अधिक आकर्षक बनने के क्रम में क्या कर सकते हैं?

एफडीआई के केंद्र के रूप में भारत को आकर्षक बनाने के लिए हमें श्रम कानूनों, बुनियादी ढांचे और कराधान में संशोधन करने होंगे। इनमें कराधान ही सबसे बड़ी समस्या रहा है। कर नीति और कर प्रशासन वैश्विक कारोबार में बड़ी चिंता का विषय है।

भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ बेहतर ढंग से जोड़ने के लिए देश में वस्तुओं की अबाध आवाजाही और उनका पुनर्निर्यात सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए तमाम सीमा शुल्क समाप्त करने होंगे, आयात पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करना होगा और निर्यात की दर शून्य करनी होगी। इसके लिए हमें व्यवस्थित प्रक्रियाओं और सुविचारित कर प्रशासन की भी आवश्यकता होगी। छापों और जेल का डर निजी कारोबारियों को भारत में कारोबार करने से रोकता है।

कंपनियों पर आय कर के मामले में भारत दुनिया में सर्वाधिक दर वाला देश है। यहां स्रोत आधारित कर प्रणाली है। इसके बजाय हमें रेजिडेंस आधारित कर प्रणाली अपनानी होगी और सभी कंपनियों पर लगने वाली कर दर को 20 फीसदी करना होगा।

नीतिगत जोखिम के चलते भारत को कारोबार करने की दृष्टि से कठिन जगह माना जाता है। सीमा शुल्क में अचानक बदलाव का भी खतरा रहता है। इसके लिए नीतिगत प्रक्रियाओं में गहन सुधार की आवश्यकता है। कानून और नियमन बनाने की प्रक्रिया में गहन सलाह-मशविरे, लागत-लाभ विश्लेषण और भविष्य की तिथियों से नियम बदलाव की व्यवस्था होनी चाहिए।

हमें इस सोच पर लगाम लगानी होगी कि चीन का नुकसान, भारत का फायदा है। नियमों से चलने वाली वैश्वीकरण की दुनिया में भारत भी काफी कुछ गंवा सकता है। हमें सेवा निर्यात से हर तिमाही 4 लाख करोड़ रुपये और वस्तु निर्यात से हर तिमाही 6 लाख करोड़ रुपये की आय मिलती है।

वैश्वीकृत दुनिया में हमारा काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। भविष्य पर नजर डालें तो संभव है कि देश में होने वाले नीतिगत सुधार के कारण निर्यात में सुधार देखने को मिले। जाहिर है भविष्य में भी काफी कुछ दांव पर लगा होगा।

अगर ट्रंप जो कर रहे हैं वह नव सामान्य बन गया तो भविष्य में हमें भी इसकी कीमत चुकानी ही होगी। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत के रुख में खुली सीमाओं वाली नियम आधारित दुनिया पर जोर होना चाहिए। ऐसी दुनिया जहां नई बाधाओं का जोखिम कम हो।

सिनेमा स्क्रीन का समेकन देगा मल्टीप्लेक्स को जान

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

अब हमारे सामने एक ऐसा उद्योग है जहां समेकन अच्छे हालात लाने का सबब बना है। मार्च 2019 में समाप्त वित्त वर्ष में भारत की तीन प्रमुख मल्टीप्लेक्स श्रृंखला- पीवीआर सिनेमाज, आइनॉक्स लीजर और सिनेपोलिस में बिकने वाले टिकटों की कुल संख्या एक साल पहले की तुलना में 23 फीसदी बढ़कर 20 करोड़ से भी अधिक रही। पिछले कई वर्षों से लोगों में सिनेमाघर जाकर फिल्म देखने की आदत में गिरावट देखी जाती रही है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर होने वाली कमाई में बढ़ोतरी के जो आंकड़े हम देखते हैं, वे असल में टिकटों की कीमतें बढ़ने के कारण हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय फिल्मों के करीब एक अरब टिकट बिकते हैं। लेकिन किसी सटीक आंकड़े के अभाव में इन तीनों मल्टीप्लेक्स श्रृंखलाओं द्वारा बेचे गए टिकट एक अच्छा नमूना साबित होते हैं।

इसके साथ कुछ पुराने साक्ष्य भी हैं। देश भर में इकलौते स्क्रीन वाले सिनेमाघरों और छोटे मल्टीप्लेक्स श्रृंखलाओं की टिकट बिक्री 2018-19 में 20-40 फीसदी तक बढ़ी। यह बढ़ोतरी इस बात का सबसे बड़ा संकेत है कि सिनेमाघरों की संख्या एवं कारोबार का ग्राफ तेजी से बदल रहा है। सिनेमा स्क्रीन की संख्या में गिरावट के बाद अब सिनेमाघर जाने वाले दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी का दौर हो चुका है।

पिछला साल फिल्मों के कारोबार के लिहाज से शानदार रहा था। राजी, संजू, भारत, एने नेनू और रंगस्थलम जैसी सुपरहिट फिल्मों ने काफी कमाई की थी। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी फिल्मों का आना एक चक्रीय अवधारणा है। तीन बुनियादी कारणों से टिकट बिक्री बढ़ी है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। पहला, सभी सिनेमाघरों के जीएसटी के दायरे में आ जाने के बाद अब हर जगह कंप्यूटरीकृत टिकट ही मिलते हैं। इसका मतलब अधिक पारदर्शिता से है जिसमें अघोषित राजस्व एवं टिकटों की गिनती हो जाती है।

दूसरा, मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में हर साल करीब 150 स्क्रीन लग रहे हैं। वर्षों से कुल स्क्रीन में नए जुड़े स्क्रीन की दर बंद होने वाले सिनेमाघरों की दर से काफी कम होती थी। इसके अलावा नए स्क्रीन की संख्या बढ़ने के बावजूद राजस्व या टिकट बिक्री नहीं बढ़ रही थी। लेकिन अब ऐसा हो रहा है। चीन में वर्ष 2011 में स्क्रीन की संख्या 9,000 थी लेकिन आज इनकी संख्या छलांग लगाते हुए 60,000 हो चुकी है। इसके चलते आज के समय में चीन अमेरिका-कनाडा के बाद दूसरा बड़ा सिनेमा बाजार हो चुका है। भारत में नए स्क्रीन आने का असर टिकट बिक्री पर भी पड़ रहा है।

तीसरा, नेटफ्लिक्स या वूट जैसे स्ट्रीमिंग वीडियो ऐप आ जाने से दर्शकों को अलग-अलग तरह का सिनेमा अपने मोबाइल फोन पर ही देखने को मिलने लगा है जिससे उनके भीतर कुछ और देखने की चाहत पैदा हो रही है और उससे खिंचकर वे सिनेमाघरों तक पहुंच रहे हैं। इन तीनों कारणों के चक्रीय क्रम में नहीं होने से मुझे लगता है कि यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

सिनेमाघर पहुंचने वाले दर्शकों की संख्या बढ़ने का असर समेकन के लाभ के रूप में देखने को मिला है। यह भारत के 1.67 लाख करोड़ रुपये के मीडिया एवं मनोरंजन कारोबार के कई वर्गों में एक बेहद जरूरी ताकत है। फिल्म प्रदर्शन एक बढ़िया उदाहरण है।

नई सदी की शुरुआत के समय भारत में करीब 12,000 सिनेमा स्क्रीन थे और उनमें से हरेक का मालिक अलग था। इस वजह से किसी फिल्म को रिलीज एवं मार्केटिंग करना किसी दु:स्वप्न से कम नहीं था। डिजिटल प्रिंट से पहले के उस दौर में किसी फिल्म निर्माता को देश भर में अपनी फिल्म रिलीज करने के लिए 60,000 रुपये प्रति कॉपी वाले 12,000 प्रिंट की जरूरत पड़ती थी। लेकिन कोई भी इसका खर्च नहीं उठा सकता था। बड़ी फिल्में भी 400-700 प्रिंट के ही साथ रिलीज होती थीं। टिकट बिक्री काफी बिखरा हुआ काम था जिससे पता ही नहीं चल पाता था कि असल में कितने लोगों ने फिल्म देखी? निजी स्तर पर फिल्में बनाने वाले अधिकतर निर्माता एक न्यूनतम गारंटी पर अपनी फिल्में बेच देते थे। फिल्म अगर काफी सफल हो जाती थी तो उन्हें इस गारंटी राशि से कुछ अधिक रकम मिल जाती थी लेकिन औसत कारोबार वाली फिल्मों के निर्माताओं को गारंटी राशि से अधिक की उम्मीद नहीं रहती थी। दुनिया में फिल्में बनाने वाले अव्वल देश के 80 फीसदी फिल्म कारोबार इस बंटे हुए एवं धुंधले पहलू से ही आता था।

लेकिन मल्टीप्लेक्स का उदय होने के बाद फिल्मों का प्रदर्शन कारोबार अधिक साफ एवं व्यवस्थित हो गया। इसने एकल स्क्रीन वाले सिनेमाघरों को या तो नई साज-सज्जा के साथ बने रहने या फिर किसी मल्टीप्लेक्स श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए मजबूर कर दिया। इसने फिल्म कारोबार में दोबारा पैसा डालने का इंतजाम कर इसे पारदर्शी बनाने का भी काम किया। भारत में पहला मल्टीप्लेक्स शुरू होने के 18 साल बाद फिल्म उद्योग का आकार करीब सात गुना बढ़ चुका है, निवेश पर मिलने वाला प्रतिफल बेहतर हुआ है और सबसे बड़ी बात, फिल्मों में जबरदस्त विविधता देखने को मिल रही है।

करीब 3,119 करोड़ रुपये वाले पीवीआर, निजी स्वामित्व वाले सिनेपोलिस और 1,692 करोड़ रुपये वाले आइनॉक्स की सम्मिलित हिस्सेदारी भारत के कुल 2500 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में से तीन-चौथाई है। देश में मौजूद कुल 9,000 स्क्रीन में से मल्टीप्लेक्स के 2,500 स्क्रीन ही बॉक्स ऑफिस पर 5,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटा रहे हैं। वर्ष 2018 में भारतीय फिल्म उद्योग के 17,500 करोड़ रुपये के कारोबार में बॉक्स ऑफिस का हिस्सा लगभग दो-तिहाई था।

इसे देखकर यह लग सकता है कि बॉक्स ऑफिस की कमाई में मल्टीप्लेक्स का इतना बड़ा हिस्सा गैर-आनुपातिक है। लेकिन एक विभाजित, टूटे हुए कारोबारी मॉडल से अलग होते हुए प्रक्रिया, संख्या एवं पारदर्शिता को ले आना इस समेकन के बगैर नहीं संभव हुआ रहता। अगर ऐसा था तो बाकी 6,500 स्क्रीन को भी अधिक राजस्व अर्जन के दायरे में लाना चाहिए।

कानाफूसी

रसूख का प्रयोग

केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत जहां राज्य सभा में सदन के नेता हैं, वहीं गृहमंत्री अमित शाह वह नेता हैं जिनके सदन में मौजूदा होने पर भाजपा के तमाम मंत्री और रणनीतिकार सलाह लेने उनके पास पहुंचते हैं। गुरुवार को गहलोत को अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मिला। जब राज्य सभा में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक पर बहस शुरू हुई तो विपक्ष ने विरोध करते हुए कहा कि न तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और न ही उनके कनिष्ठ मंत्री अश्विनी कुमार चौबे सदन में मौजूद हैं। सदन के उपसभापति हरिवंश ने 10 मिनट के लिए सदन स्थगित किया। जब दोनों मंत्री भागते हुए सदन में पहुंचे तो गहलोत ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि आपने यह क्या तमाशा लगा रखा है? आप दोनों नहीं थे इसलिए सदन स्थगित करना पड़ा।

हिंदी बनाम अंग्रेजी

मरुमलारची द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के नेता और राज्य सभा सदस्य वाइको ने गुरुवार को सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सबको आड़े हाथों लिया। यहां तक कि उन्होंने सहयोगी दल द्रमुक को भी नहीं बख्शा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक पर अपनी बात रखनी शुरू की तो वाइको ने मंत्री से मांग की कि वह हिंदी के बजाय अंग्रेजी में बोलें क्योंकि यह मुद्दा राष्ट्रीय महत्त्व का है। तब आसंदी से कहा गया कि अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है। इस बीच भाजपा और जदयू के सांसद वाइको की आलोचना करते हुए मंत्री से हिंदी में बोलने की मांग करने लगे। इस पर अंग्रेजी में बोलना शुरू कर चुके हर्षवर्धन दोबारा हिंदी में बोलने लगे। वाइको ने दोबारा विरोध किया और समझाने आए कांग्रेस के जयराम रमेश और द्रमुक के तिरुशी शिवा को भी किनारे कर दिया। हर्षवर्धन ने गृहमंत्री अमित शाह से कहा कि वह समझ नहीं पा रहे कि किस भाषा में बोलें। गौरतलब है कि वाइको तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन चला चुके हैं। राज्य सभा में नारेबाजी के दौरान भी वह हिंदी नारों में साथ नहीं देते।

आपका पक्ष

तीन तलाक संबंधी विधेयक पारित

संसद के मॉनसून सत्र में दो महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं। पहला विधेयक महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित तीन तलाक विधेयक है। दूसरा बच्चों के संरक्षण तथा हिंसा से बचाव करने वाला पोक्सो विधेयक में संशोधन है। इन दोनों विधेयकों को राष्ट्रपति ने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। तीन तलाक विधेयक पारित होने से मुस्लिम महिलाओं को उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार में न्याय मिलेगा। वे न्यायालय में अपने अधिकार के लिए आवाज उठा सकेंगी। विधेयक पारित होने से पहले कई वर्षों से पति तीन बार तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक देकर अलग हो जाते थे। उसके बाद एक तलाकशुदा महिला को सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस कानून के तहत अपराध सिद्ध होने पर तीन साल की जेल का प्रावधान है। वहीं पोक्सो कानून के तहत बच्चों का यौन शोषण करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा दी जाएगी एवं बच्चों के खिलाफ अन्य अपराध करने पर भी कड़ी सजा का प्रावधान है। सरकार इन दो विधेयकों के पारित होने के बाद महिला अधिकार एवं सुरक्षा के प्रति गंभीर है। लेकिन अब इन दो कानून को कड़ाई से क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी सरकार एवं संबंधित प्रशासन को निभानी होगी। अक्सर देखा गया है कि लचर क्रियान्वयन होने की वजह से कानून का असर धरातल पर दिखाई नहीं देता है। सामाजिक बंधन एवं परंपराओं के चलते पीड़ित परिवार बलात्कार जैसी बातों को सामने लाने से घबराते हैं। इस वजह से भी कड़े कानून होने के बावजूद कानून महत्त्वहीन साबित हो जाता है। कई मामलों में पीड़ित को न्याय मिलने में वर्षों लग जाता है। सरकार को इस महत्त्वपूर्ण कानून को आम जनता तक पहुंचाने लिए उचित प्रबंध करना चाहिए।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

तीन तलाक कानून बनने के बाद मुस्लिम महिलाओं ने खुशी जाहिर की *-पीटीआई*

पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने की जरूरत

देश के पूर्वोत्तर राज्य पहले से ही उपेक्षा के शिकार रहे हैं। लेकिन सरकार अब पूर्वोत्तर राज्यों की सुध ले रही है। सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए 1,232 करोड़ रुपये लागत की 49 विकास परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इसमें सड़क, पुल और पर्यटन स्थलों का उन्नयन, निर्माण और नवीनीकरण किया जाएगा। देश के अन्य राज्यों से पूर्वोत्तर कटा हुआ लगता है। उचित परिवहन की कमी के कारण देश के दूसरे राज्यों के लोग वहां नहीं जा पाते हैं। सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों की देश की राजधानी तक पहुंच आसान बनानी होगी। वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा देने की जरूरत है जिससे लोग वहां जाएं तथा पहले से बनी अपनी अवधारणा को बदल सकें।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।